भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2679
दिनांक 16.12.2025को उत्तरार्थ

पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

†2679. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कितनी पंचायतों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। इसलिए, ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है। हालांकि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए, सीमित पैमाने पर कंप्यूटर और इसके उपकरण प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है।

ग्राम पंचायत में कंप्यूटरों की राज्य-वार स्थिति **अनुलग्नक-I** में संलग्न है। मंत्रालय ने आरजीएसए के तहत अपने सीमित संसाधनों से, ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण में सहायता के लिए संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया। अब तक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव तथा लद्दाख के राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% कंप्यूटर के उपलब्ध होने की सूचना दी है।

(ग) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक मांग संचालित योजना है और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) की कुल राशि के बदले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधियां जारी की जाती हैं। योजना के तहत धनराशि वार्षिक कार्य योजना (एएपी) की कुल अनुमोदित राशि के आधार पर जारी की जाती है। राज्यों के द्वारा निधियों का व्यय आरजीएसए के एएपी के अनुमोदित घटक के अंतर्गत डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कंप्यूटर सहित अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, राज्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की सहायता के लिए विभिन्न स्रोतों से भी निधि का उपयोग कर सकते हैं, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी), स्वयं के राजस्वस्रोत (ओएसआर), और ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध कोई अन्य संसाधन।इसके अलावा, मंत्रालय राज्यों और पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न अवसंरचनात्मक योजनाओं के साथ अभिसरण करके इन निधियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए के तहत आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधि की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति **अनुलग्नक -II**में दी गई है।

****

अनुलग्नक -1

पंचायतों के कंप्यूटरीकरण के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2679 , जिसका उत्तर दिनांक 16/12/2025 को दिया जाना है,के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

ग्राम पंचायत भवन में कंप्यूटरों की स्थिति

क्रं सं	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	ग्राम पंचायत/पारंपरिक स्थानीय निकायों की संख्या	कम्प्यूटर कृत ग्राम पंचायतें	कंप्यूटर रहित ग्राम पंचायातें
1	आंध्र प्रदेश	13371	9991	3380
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	1372	736
3	असम	2192	1324	868
4	बिहार	8053	2000	6053
5	छत्तीसगढ़	11693	6309	5384
6	गोवा	191	191	0
7	गुजरात	14648	14181	467
8	हरियाणा	6227	631	5596
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	0
10	जम्मू और कश्मीर	4291	4291	0
11	झारखंड	4345	2248	2097
12	कर्नाटक	5948	5948	0
13	केरल	941	941	0
14	मध्य प्रदेश	23011	22565	446
15	महाराष्ट्र	27943	27943	0
16	मणिपुर	161	161	0
17	मेघालय	6431	4754	1677
18	मिजोरम	834	305	529
19	नागालैंड	1315	724	591
20	ओडिशा	6794	5576	1218
21	पंजाब	13236	300	12936
22	राजस्थान	11193	11193	0
23	सिक्किम	199	149	50
24	तमिलनाडु	12525	10941	1584
25	तेलंगाना	12848	5045	7803
26	त्रिपुरा	606	588	18
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	0
28	उत्तराखंड	7817	2863	4954
29	पश्चिम बंगाल	3339	3339	0
केंद्र शासित प्रदेश				
30	अंडमान और निकोबार	70	70	0
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	42	42	0
32	लद्दाख	193	193	0
कुल		**2,63,871**	**2,07,484**	**56,387**

अनुलग्नक -II

पंचायतों के कंप्यूटरीकरण के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2679 जिसका उत्तर दिनांक 16/12/2025 को दिया जानाके भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए के अंतर्गत आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधि की स्थिति

क्रं सं	**राज्य का नाम**	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
		आवंटित/ जारी की गई निधि	**उपयोग की गई निधि ^**	**आवंटित/ जारी की गई निधि**	**उपयोग की गई निधि ^**	**आवंटित/ जारी की गई निधि**	**उपयोग की गई निधि ^**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	21.35	2.52	59.66
2	अरुणाचल प्रदेश	108.69	132.45	72.09	89.97	70.00	77.94
3	असम	55.29	95.15	77.70	91.41	60.00	72.60
4	बिहार	33.37	70.07	25.00	51.81	0.00	78.05
5	छत्तीसगढ़	0.00	29.52	17.57	22.25	16.50	34.13
6	गोवा	0.00	1.12	0.89	1.00	1.35	1.29
7	गुजरात	0.00	0.01	0.00	1.28	0.00	15.48
8	हरियाणा	0.00	3.06	0.00	8.84	5.00	8.24
9	हिमाचल प्रदेश	60.65	37.49	19.31	69.30	27.21	43.13
10	जम्मू और कश्मीर	40.00	57.75	65.00	98.61	65.00	57.89
11	झारखंड	0.00	18.44	31.00	25.95	0.00	26.56
12	कर्नाटक	36.00	25.67	20.00	39.01	16.25	49.52
13	केरल	30.40	23.13	10.00	37.04	10.00	32.65
14	मध्य प्रदेश	28.00	145.17	32.17	74.16	40.00	96.92
15	महाराष्ट्र	37.84	129.03	116.12	194.26	80.00	134.81
16	मणिपुर	8.63	3.31	9.56	8.34	0.00	3.91
17	मेघालय	0.00	6.41	6.00	6.26	8.00	7.60
18	मिजोरम	14.27	25.48	10.00	15.64	12.00	22.69
19	नागालैंड	0.00	0.00	10.00	5.46	10.00	18.28
20	ओडिशा	11.40	24.83	27.33	44.22	20.00	60.15
21	पंजाब	34.25	42.91	10.00	23.06	5.00	23.89
22	राजस्थान	0.00	32.41	21.72	40.12	15.00	30.88
23	सिक्किम	6.01	4.98	6.00	7.90	7.00	7.35
24	तमिलनाडु	25.42	8.53	0.00	25.98	45.00	63.79
25	तेलंगाना	0.00	3.19	20.00	20.47	0.00	9.05
26	त्रिपुरा	9.80	3.76	7.43	10.96	10.00	20.29
27	उत्तर प्रदेश	85.05	96.33	84.13	158.95	38.77	180.84
28	उत्तराखंड	42.48	57.15	64.67	66.29	50.00	63.72
29	पश्चिम बंगाल	4.28	50.89	33.69	57.32	52.68	82.68
	केंद्र शासित प्रदेश						
30	अंडमान और निकोबार	0.00	1.03	0.79	1.28	2.12	1.18

	द्वीप समूह						
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1.14	4.50	1.00	0.38	1.00	0.00
32	लद्दाख	0.00	1.52	1.00	0.80	0.00	0.58
	कुल योग	**672.97**	**1135.29**	**800.17**	**1319.67**	**670.4**	**1385.75**
	अन्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ	10.01	10.01	14.69	16.69	23.77	23.77
	कुल	**682.98**	**1145.3**	**814.86**	**1336.36**	**694.17**	**1409.52**

^ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग की गई निधियों में पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि और राज्य का हिस्सा शामिल है।